रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032021-225902
CG-DL-E-13032021-225902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1106] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 1106] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का.आ. 1194(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3874 (अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 28 अक्टूबर, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 110 वर्ग किलोमीटर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के निकोबार जिला में दक्षिण मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचना संख्या जे-22010/14/89-सी एस सी, द्वारा 13 जनवरी, 1989 से बफर जोन के रूप में, संरक्षित वन से घिरा हुआ, ग्रेट निकोबार जीवमंडल रिज़र्व का कोर क्षेत्र है और 2013 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान विविध स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु का ऐसा वास स्थल है जिसमें तटीय और मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली भी शामिल है। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृति और मनोरंजनात्मक और अनुसंधान और शिक्षण संदर्भ का काफी महत्वपूर्ण मूल्य भी है;

और, संरक्षित क्षेत्र की वनस्पति भूमध्यरेखा के निकटतम होने के कारण इसकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्षेत्र की द्वीपीय प्रकृति, द्वीपों के भौतिक अलगाव और दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मॉनसून के प्रभाव के कारण अद्‌भुत है जो कि घनत्व वृद्धि और विविध वनस्पति का कवर प्रदान करता है;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति विश्व में सबसे अच्छे संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में एक है और अपनी भौगोलिक स्थिति और भौतिक अलगाव के कारण उच्च स्तर की स्थानिकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय उद्यान के इंडो-चीन और इंडो-मालायन क्षेत्रों से भी घटक हैं। 422 जेनेरा और 142 परिवारों से संबंधित क्षेत्र से वनस्पति की लगभग 648 प्रजातियां रिपोर्ट की गई है, जिसमें से स्थानिक वनस्पति की 48 प्रजातियां और गैर-स्थानिक वनस्पति की 85 प्रजातियां दुर्लभ और लुप्तप्राय है। जिमनोस्पर्मस् तीन जेनेरा और तीन परिवारों से संबंधित चार प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। पेट्रोडोफाइटिक समूह 77 प्रजातियों से युक्त पौधों की विविधता और समृद्धता के अच्छे विस्तार में सहायक है जिसमें आंतरिक वनों के पहाड़ी ढलानों के साथ वनस्पति का मुख्य भाग फर्न वृक्ष से संघटित है;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान ज्वारीय दलदल वन (मैंग्रोव वन), तट वन (समुद्र तट वन), निचला स्तर सदाहरित वन (कोरल रीफ वन), उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन (टुरू उष्णकटिबंधीय वन), दक्षिणी पहाड़ी-शिखर सदाहरित वन और फर्न ब्रेक से युक्त है। राष्ट्रीय उद्यान में इयूफोरबियाकिया, रूबियकिया, अरेकाकिया, आर्किडाकिया और स्यपेराकिया और पोआकिया अन्नोनाकिया परिवारों के सदस्य उच्च प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं। क्षेत्र की वनस्पतियाँ की विशिष्टता इस प्रकार देखी जा सकती है कि मेलास्टोमाटाकिया की जेनेरा ओटेंथेरा और एस्ट्रोनिया, स्क्रोफुलारियाकिया के सराईटड्रोमिया, जेस्नेरियाकिया के साइरटेंड्र, इकाकीनाकिया के स्टेमोनुरूस, ऑर्किडाकिया के अरेकाकिया और स्पाथोगलोट्टीस से रहोपलोब्लास्टे और कई और प्रजातियां इन क्षेत्रों की स्थानिक प्रजातियां हैं;

और, क्षेत्र में स्थानिक वनस्पति प्रजातियां विद्यमान है जिसमें वृक्ष फर्नों जैसे *सफाईरोप्टेरिस एल्बो-सेताकेया* (*कयथेया एल्बो-सेताकेया*) और *सफाईरोप्टेरिस निकोबारिका* (*कयाथेया निकोबारिका*) शामिल हैं। क्षेत्र में अन्य स्थानिक वनस्पति प्रजातियों में *प्रोनेपहरियम नाकाइकेयइम, अर्टाबोटॉयस निकोबारिअनुस, उवरिया निकोबारिका, चिसोचेटोन निकोबारिअनुस, निकोबारिओ डेंड्रोंसलेयमेरी, कोन्नारूस निकोबारिकस, ओटांथेरा निकोबारेंसिस, ओफिआरर्हिजा इंफुंडिबुलारिस, ओफिओरर्हिजा निकोबारिका, जास्मिनुम सयर्रिंगिफोलियम, चिलोकार्पस डेनुडाटुस वार, निकोबारिकस, गेनिअंथुस होरेइ, कयरटांड्रोइमिया निकोबारिका, कीरतंद्रा बुरट्टी, कीयरतांड्रा ओक्कीडेंटालिस, नोथोफोइबे निकोबारिकस कलेइस्टांथुस बालाकरिसनानि, टरोगोनोस्टेमोन विल्लोसुस वार, निकोबारिकस, एरिडेस इमेरिकी, अनोइकटोचिलुस निकोबारिकस, डेंड्रोबियम शोम्पेनि, हॉर्नस्टेडिया फेंजली, फरयनियम पानिकुलातम, कलामुस निकोबारिकस, रहोपालोबालास्टे औगुस्टाटा, अग्लाओनेमा निकोबारिकम, होमालोमेना ग्रिफ्फिथी वार, ओवाटे* पाई जाती हैं;

और, क्षेत्र के मंग्रोव वनों में उच्च उर्वर पारिस्थितिकी प्रणालियां है और कई पारिस्थितिकीय क्रियाएं है। क्षेत्र से मंग्रोव की चौदह प्रजातियां अर्थात् *रहीजोफोरा अपिकुलाटा, बरूगुइरा गयम्नोरर्हिजा, सोन्नेराटिया कासेओलारिस,* आदि अभिलिखित की गई है, क्षेत्र के अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पति में बेल और कठलता जैसे *डेर्रिस ट्राइफोलियाटा, सारकोलोबुस गलोबोसुस, फिनलायसोनिया ओबोवाटा,* इफाइटीक फर्न और ऑर्किड अर्थात् *एस्पलेनियम निडुस, डेंड्रोबियम क्रुमेनाटम* और *टरिचोगलोट्टिस चिरर्हिफेरा* शामिल है। संरक्षित क्षेत्र में संभावित और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजातियां जिसमें *नयपा फरूटिकनस* और *वानिल्ला अंडमानिका* शामिल हैं प्रचुर मात्रा में उगती हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में सिर्फ एक बारहमासी नदी अर्थात् गालाथिया है, जो कि कैम्पबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान से आरंभ होती है और गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है। यह ज्यांइट लैदर बैक समुद्री कछुआ (*डेर्मोचेल्यस कोरिअकेया)*, ओलिव रिडले कछुआ (*लेपिडोचेल्यस ओलिवाकेया)*, ग्रीन समुद्री कछुआ *(चेलोनिया मायदास)* के लिए महत्त्वपूर्ण बसेरा स्थल खाड़ियों को बनाता है;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान से जीवजंतु की कुल 330 प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें स्तनधारियों (तीन मरीन स्तनधारी सहित) की 28 प्रजातियां, पक्षियों की 97 प्रजातियां, सरीसृपों की 23 प्रजातियां, उभयचरों की 10 प्रजातियां, तितलियों की 52 प्रजातियां, ऑडोनोट्स की 24 प्रजातियां, मकड़ियों की 20 प्रजातियां और जलीय हेमीप्ट्रेनस् की 76 प्रजातियां शामिल हैं;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव की विशेष विविधता के लिए जाना जाता है, राष्ट्रीय उद्यान से मुख्य संकटापन्न और स्थानिक जीवजंतु निकोबार क्रैब ईटिंग मैकाक्यू (*मकाका फस्किकुलारिस उम्बरोसा*), निकोबार वन्यजीव सूअर (*सस स्क्रोफ़ा निकोबारिका*), डुगोंग (*डुगोंग डुगोन*), निकोबार ट्री श्रेव (*तुपाइया निकोबारिका निकोबारिका*),

निकोबार फ्लांइग लोमड़ी (*पटेरोपुस फौनुलुस*), स्पाइनी श्रेव (*करोकिड्रा निकोबारिका*) और निकोबार नोज्ड (*हिप्पोसिडेरोस अटेर निकोबारूलेया*), रेट *(रत्तुस बुर्रेस्केन्स), (रत्तुस बुर्रूस), (रत्तुस पुल्लिवेंटेर), (रत्तुस पाल्मारूम),* निकोबार पिपिस्ट्रेल्ले (*पिपिस्ट्रेल्लुस कामोर्टेया*), अंडमान वाटर मॉनिटर *(वारानुस सल्वाटोर अंडमानेंसिस),* तिवारी गार्डन लिर्जाड (*कलोटेस डानिइलि*), इस्चूराइन मगरमच्छ (*क्रोकोडिलुस पोरोसस*), अभिलिखित किए गए है;

और, क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थानिक पक्षी प्रजातियों में निकोबार बाघ बिटर्न (गोरसाचिउस मेलानोफुस माइनर*),* निकोबार कोयल डव (*माक्ररोपयगिया रूफिपेंनिस रूफिपेन्निस),*निकोबार इमेराल्ड डव (*चाल्कोफाप्स इंडिका औगुस्टा),* ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल (*स्पिलोरनिस कलोस्सिस),* निकोबार पेराडाइस फ्लाईकैचर *(टेरिसिपोन* पेराडाइस *निकोबारिका),* अंडमान श्री टोइड किंगफिशर *(केयक्स इरिथाकस माक्रोकरूस),* निकोबार स्टोकबिल्लेड किंगफिशर *(पेलारगोप्सिस कापेंसिस),* निकोबार वाइट-कोल्लारेड किंगफिशर (हलकयोन चलोरिस ओक्किपिटालिस*),* अंडमान कोयल*(इयडयनामयस स्कोलोपाकेया डोलोसा),* निकोबार मेगापोडे (मेगापोडियस निकोबारिइंसिस*),* निकोबार हिल मैना *(ग्राकुला रेलिगिओसा हालिबरेकटा),* निकोबार बैक-नापेड ओरिओले (ओरिओलुस चिनेंसिस माक्रोउरूस*),* निकोबार स्कोपस ओवल *(ओटुस स्कोपस निकोबारिकस),* बल्यथस निकोबार पैराकिट(पसिट्टाकुला कानिकेपस*),*निकोबार रेडचीकड पैराकीट (पसिट्टाकुला लोंगिकउडा निकोबार*),* निकोबार कबूतर *(कैलोनियस निकोबारिका निकोबारिका),* निकोबार ग्रीन शाही कबूतर (*ड्रुकुला एनेया निकोबारिका),* कटचेल शिकरा *(एकिपिटर बैजियस ऑब्सोलेटस),* निकोबार वाइट आई *(ज़ोस्टरोप्स पाल्पेबरोस अनिकोबारिका),* अंडमान ग्लॉसी स्टेयर *(एप्लॉनिस पैनयेन्सिस टाइटलरी),* निकोबार ऑलिव बैकड सनबर्ड *(नेकरिनिया जुगुलारिस कलोस्सि*), निकोबार यल्लो बैकड सनबर्ड *(एथोपेगा सिपाराजा निकोबारिका),* अंडमान ग्रे रूम्पेड स्विफ्टलेट *(कोल्लोकालिया फुकिफागा इनेक्पेकटाटा),* वाइट बेल्लीड स्विफ्टलेट *(कोल्लोकालिया इस्कुलेंटा अफ्फिनिस),* निकोबार ग्राउंड थ्रश *(ज़ोथेरा सिट्रीन एल्बोगुलरिस),* आदि विद्यमान हैं;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान संवेदनशील जनजाति समूहों, में से एक जनजाति शोम्पेन का वास स्थल है, जो कि शिकार करने और संचयन करने के चरण में है और वन संसाधन पर पूरी तरह से निर्भर है गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन को अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 की धारा 3 के अधीन आदिवासी रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया, जिसमें वह अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 65 के अधीन वन संसाधनों पर उन्मुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं;

और, कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के आबंटन और रिज़र्व क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी भूमि में किसी भी ब्याज का अधिग्रहण या ऐसी भूमि पर उत्पादित फसलों को अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 की धारा 4 और धारा 6 के अधीन विनियमित किया जाता है;

और, रिज़र्व क्षेत्र में आदिकालीन जनजाति के किसी व्यक्ति के अलावा या आदिकालीन जनजाति के सदस्यों के अलावा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के प्रवेश का विनियमन पूर्वोक्त विनियम की धारा 7 के अधीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिक्री, विनिमय, बंधक, पट्टे या अन्यथा द्वारा का आदिकालीन जनजाति के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 की धारा 5 के अधीन विनियमित किया जाएगा और ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जाति संबंधी नीति-2015 द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अखंडता, समुदाय की सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण को प्रकट करने के साथ साथ प्राकृतिक वास की सुरक्षा निर्देशित होती है;

और, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर शून्य से एक किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर शून्य से एक किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **14.93 वर्ग किलोमीटर** है। *ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र के रूप में न्यूनतम विस्तार 'शून्य' है जहां उद्यान स्थित है, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क और जनजातीय रिज़र्व के अंतर्गत कवर किया है; अतः क्षेत्र के आसपास समग्र विकास के लिए बहुत कम क्षेत्र बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त, सूनामी, जल स्तर में वृद्धि जैसी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा से विकास और वास को सुरक्षित रखने के लिए विकास के लिए समुद्र-तट रेखा के साथ-साथ दिशा–निर्देशों सहित 750 मीटर का बफर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। विकास योग्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि वह समुद्रतट से दूर और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के निकट स्थित हो। द्वीप का देश के लिए अतिबृहत महत्त्व है और भारत सरकार में इस भाग पर महत्त्व परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया है; अतः यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए क्षेत्र नहीं बचा है।*

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और विस्तार **उपाबंध –I** के रूप में संलग्न है।

(3) भू-निर्देशांकों, सैटेलाइट चित्र और अवस्थान मानचित्र के साथ गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध –IIक, उपाबंध –IIख और उपाबंध –IIग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध -III** की सारणी क और ख के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई राजस्व ग्राम स्थित नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) पशुपालन;

(v) अंडमान लोक निर्माण विभाग;

(vi) राजस्व;

(vii) मत्स्य; और

(viii) अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्ल्यू) और अन्य अनुसंधान संगठन।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना ग्रेट निकोबार द्वीप-2015 के शोम्पेन जनजाति संबंधी नीति और अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और ग्रेट निकोबार द्वीप-2015 के शोम्पेन जनजाति संबंधी नीति में प्रतिष्ठापित और अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 में किए गए प्रावधानों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह (पीवीटीजी) के बचाव, सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित कार्यकलापों का पालन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(10) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(11) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 की धारा 4,5 और 6 में किए गए प्रावधानों के अनुसार भूमि उपयोग को विनियमित किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

IndiaCode

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।

8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	प्रतिषिद्ध।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
13.	वृक्षों की कटाई ।	प्रतिषिद्ध।
14.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	प्रतिषिद्ध।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	प्रतिषिद्ध।
16.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव की मदद से नदी जल कृषि और मत्स्य ग्रहण।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

25.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारम्परिक मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	अंडमान और निकोबार (आदिकालीन जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 में उपबंधित पीवीटीजी (शोम्पेन) एवं निकोबारियों की प्रामाणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई।
31.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	पीवीटीजी (शोम्पेन) की आजीविका को प्रभावित किए बिना यथासंभव बढ़ावा देना है।
32.	पीवीटीजी एवं निकोबारियों द्वारा कृषि और बागवानी पद्धतियां।	जीविका आवश्यकता के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
1.	उपायुक्त, निकोबार जिला	अध्यक्ष;
2.	सदस्य, जिला परिषद, कैम्पबेल खाड़ी	सदस्य;
3.	कार्यकारी अभियंता, अंडमान लोक निर्माण विभाग, कैम्पबेल खाड़ी	सदस्य;
4.	निदेशक, कृषि विभाग या प्रतिनिधि,	सदस्य;
5.	निदेशक, मत्स्य या प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कैम्पबेल खाड़ी	सदस्य;
7.	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तीन साल के लिए पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्यजीव में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	प्रभागीय वन अधिकारी, निकोबार प्रभाग	सदस्य- सचिव

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, बशर्ते समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/16/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व- पारिस्थितिकी संवेदी जोन गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा बिंदु 1 (6° 59' 33.429" उ और 93° 52' 8.570" पू) से आरंभ होती है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 0.5 किलोमीटर मगर नाला के निकट बिंदु ए2 (6° 59' 40.690" उ और 93° 52' 23.157" पू) के पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा से 0.5 किलोमीटर की दूरी बनाकर बिंदु ए 3 (6° 58' 52.401" उ और 93° 52' 36.066" पू) और ए4 (6° 57' 24.953" उ और 93° 51' 43.686" पू) से होते हुए ढिल्लन नाला के निकट बिंदु ए5 (6° 55' 53.257" उ और 93° 52' 13.565" पू) तक दक्षिण दिशा की ओर जाती है । इसके बाद सीमा दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और बिंदु 3 (6° 55' 36.340" उ और 93° 52' 4.623" पू) में गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से मिलती है और बिंदु **5** (6° 50' 16.834" उ और 93° 52' 22.608" पू) तक गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा जाती है।

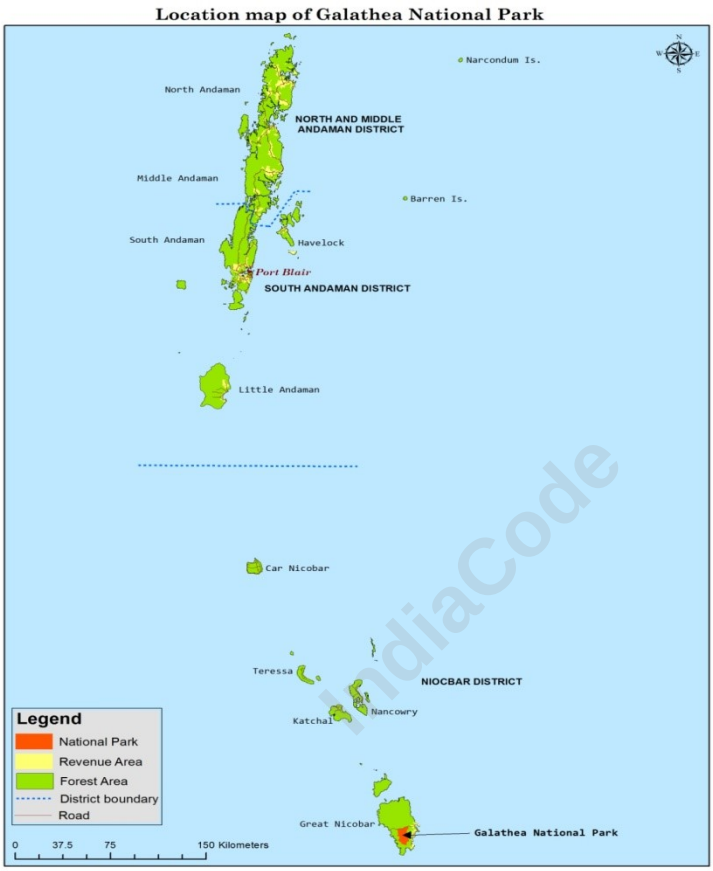
दक्षिण- बिंदु **5** (6° 50' 16.834" उ और 93° 52' 22.608" पू), से, सीमा गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से होते हुए बिंदु **6** (6° 50' 52.594" उ और 93° 49' 18.952" पू) तक दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है।

पश्चिम:- बिंदु 6 (6° 50' 52.594" उ और 93° 49' 18.952" पू) से, सीमा गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से होते हुए बिंदु 7 (6° 53' 42.182" उ और 93° 48' 37.418" पू**),** बिंदु 8 (6° 54' 4.291" उ और 93° 49' 11.580" पू), बिंदु 9 (6° 55' 2.576" उ और 93° 48' 14.121" पू) और बिंदु10 (6° 56' 45.865" उ और 93° 47' 52.416" पू) से होते हुए बिंदु 11 (6° 58' 15.837" उ और 93° 47' 30.378" पू) तक उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है।

उत्तर: बिंदु 11 (6° 58' 15.837" उ और 93° 47' 30.378" पू)से, सीमा इसके बाद गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.00 किलोमीटर की दूरी में बिंदु ए **6**(6° 58' 27.217" उ और 93° 46' 58.873" पू) तक उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की एकरूप दूरी बनाकर बिंदु ए7(6° 59' 2.745" उ और 93° 49' 40.976" पू) और बिंदु ए8 (7° 0' 19.532" उ और 93° 51' 42.870" पू) से होते हुए बिंदु ए1 (6° 59' 47.949" उ और 93° 52' 37.740" पू) तक पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। सीमा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और बिंदु ए **2** (6° 59' 40.690" उ और 93° 52' 23.157" पू) में मिलती है।

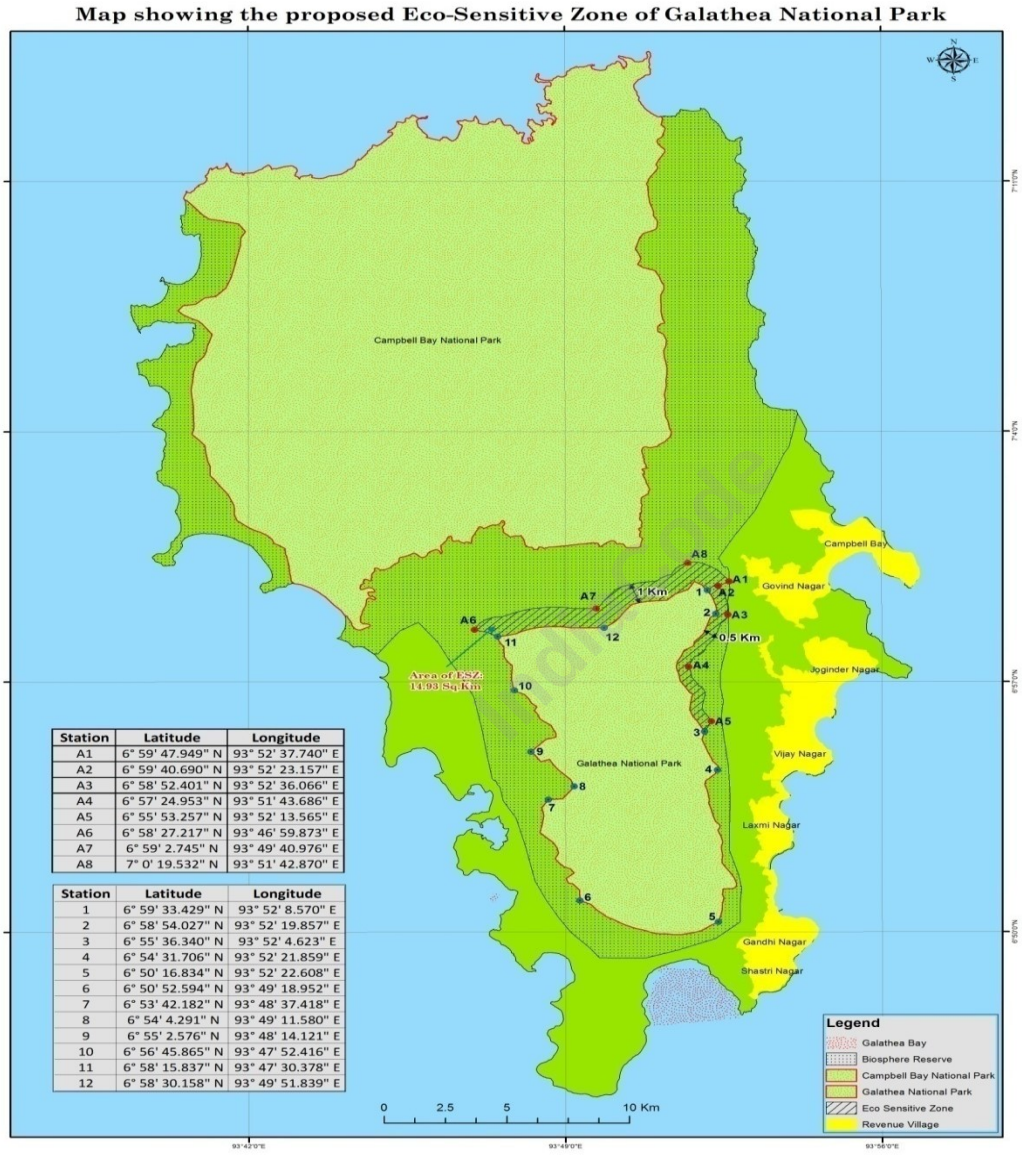
उपाबंध – IIक

गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



उपाबंध – IIख

भू-निर्देशांकों के साथ गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Station	Latitude	Longitude
A1	6° 59' 47.949" N	93° 52' 37.740" E
A2	6° 59' 40.690" N	93° 52' 23.157" E
A3	6° 58' 52.401" N	93° 52' 36.066" E
A4	6° 57' 24.953" N	93° 51' 43.686" E
A5	6° 55' 53.257" N	93° 52' 13.565" E
A6	6° 58' 27.217" N	93° 46' 59.873" E
A7	6° 59' 2.745" N	93° 49' 40.976" E
A8	7° 0' 19.532" N	93° 51' 42.870" E

Station	Latitude	Longitude
1	6° 59' 33.429" N	93° 52' 8.570" E
2	6° 58' 54.027" N	93° 52' 19.857" E
3	6° 55' 36.340" N	93° 52' 4.623" E
4	6° 54' 31.706" N	93° 52' 21.859" E
5	6° 50' 16.834" N	93° 52' 22.608" E
6	6° 50' 52.594" N	93° 49' 18.952" E
7	6° 53' 42.182" N	93° 48' 37.418" E
8	6° 54' 4.291" N	93° 49' 11.580" E
9	6° 55' 2.576" N	93° 48' 14.121" E
10	6° 56' 45.865" N	93° 47' 52.416" E
11	6° 58' 15.837" N	93° 47' 30.378" E
12	6° 58' 30.158" N	93° 49' 51.839" E

उपाबंध – IIग

गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट चित्र

Map showing the proposed Eco-Sensitive Zone of Galathea National Park



उपाबंध - III

सारणी क: मानचित्र पर दर्शाये गये गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
1.	1	6° 59' 33.429" उ	93° 52' 8.570" पू
2.	2	6° 58' 54.027" उ	93° 52' 19.857" पू
3.	3	6° 55' 36.340" उ	93° 52' 4.623" पू
4.	4	6° 54' 31.706" उ	93° 52' 21.859" पू
5.	5	6° 50' 16.834" उ	93° 52' 22.608" पू
6.	6	6° 50' 52.594" उ	93° 49' 18.952" पू
7.	7	6° 53' 42.182" उ	93° 48' 37.418" पू
8.	8	6° 54' 4.291" उ	93° 49' 11.580" पू
9.	9	6° 55' 2.576" उ	93° 48' 14.121" पू
10.	10	6° 56' 45.865" उ	93° 47' 52.416" पू
11.	11	6° 58' 15.837" उ	93° 47' 30.378" पू
12.	12	6° 58' 30.158" उ	93° 49' 51.839" पू

IndiaCode

सारणी ख: मानचित्र पर दर्शाए गए गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
1.	ए1	6° 59' 47.949" उ	93° 52' 37.740" पू
2.	ए2	6° 59' 40.690" उ	93° 52' 23.157" पू
3.	ए3	6° 58' 52.401" उ	93° 52' 36.066" पू
4.	ए4	6° 57' 24.953" उ	93° 51' 43.686" पू
5.	ए5	6° 55' 53.257" उ	93° 52' 13.565" पू
6.	ए6	6° 58' 27.217" उ	93° 46' 59.873" पू
7.	ए7	6° 59' 2.745" उ	93° 49' 40.976" पू
8.	ए8	7° 0' 19.532" उ	93° 51' 42.870" पू

उपाबंध –IV

की गई कार्रवाई - सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

S.O. 1194(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Number S.O 3874 (E), dated the 28th October 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 28th October 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Galathea National Park is spread over an area of 110 square kilometers and is located in the South Central Great Nicobar Island in Nicobar District of Andaman and Nicobar Islands;

AND WHEREAS, the Galathea National Park is the core area of Great Nicobar Biosphere Reserve with surrounding protected forest as the buffer zone with effect from 13 January 1989, *vide* notification number J-22010/14/89-CSC and was also declared as World Heritage Site by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 2013;

AND WHEREAS, the Galathea National park is home to a variety of endemic flora and fauna including the coastal and mangrove ecosystem. The area also has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research and educational perspective;

AND WHEREAS, the vegetation of the protected area is unique due to its tropical humid climate being closer to the equator, insular nature of the territory, physical isolation of the islands and the impact of both South-West and North-East monsoons which has given rise to dense and diverse vegetation cover;

AND WHEREAS, the vegetation at Galathea National park is one of the best preserved tropical rain forests in the world and shows high degree of endemism owing to its geographic location and physical isolation. The National Park also has elements from the Indo-Chinese and Indo-Malayan regions. About 648 species of flora have been reported from the area belonging to 422 genera and 142 families, out of

which 48 species of endemic flora and 85 species of non-endemic flora are rare and endangered. The Gymnosperms are represented by four species belonging to three genera and three families. The Pteridophytic group contributes to a great extent to the plant diversity and richness of the flora comprising of 77 species of which the population of tree fern constitute a major portion of the vegetation along the hilly slopes of the interior forests;

AND WHEREAS, the Galathea National park is consisted of Tidal Swamp Forest (Mangrove Forest), Littoral Forest (Beach Forests), Low level Evergreen Forests (Coral Reef Forests), Tropical Evergreen Forests (True Tropical Forests), Southern hill-top evergreen forests and fern breaks. The members of the families Euphorbiaceae, Rubiaceae, Arecaceae, Orchidaceae and Cyperaceae and Poaceaeand Annonaceae show high representation in terms of endemism. The distinct flora of the area can be visualized by the fact that the genera *Otenthera* and *Astronia* of Melastomataceae, *Cyrtandromea* of Scrophulariaceae, *Cyrtandra* of Gesneriaceae, *Stemonurus* of Icacinaceae, *Rhopaloblaste* from Arecaceae and *Spathoglottis* of Orchidaceae and many more species are endemic to these areas;

AND WHEREAS, the endemic floral species present in the area includes tree ferns like *Sphaeropterisalbo-setacea* (*Cyatheaalbo-setacea*) and *Sphaeropterisnicobarica* (*Cyatheanicobarica*). Other endemic floral species found in the area are *Pronephrium nakaikeuim, Artabotrys nicobarianus, Friesodielsia forniculata, Uvaria nicobarica, Chisocheton nicobarianus, Nicobario dendronsleumeri, Connarus nicobaricus, Otanthera nicobarensis, Ophiorrhiza infundibularis, Ophiorrhiza nicobarica, Jasminum syringifolium, Chilocarpus denudatus var. nicobaricus, Genianthus horei, Cyrtandroemia nicobarica, Cyrtandra burttii, Cyrtandra occidentalis, Nothophoebe nicobaricus, Cleistanthus balakrishnani, Trogonostemon villosus var. nicobaricus, Aerides emerici, Anoectochilus nicobaricus, Dendrobium shompenii, Hornstedtia fenzlii, Phrynium paniculatum, Calamus nicobaricus, Rhopalobalaste augustata, Aglaonema nicobaricum, Homalomena griffithii var. ovate;*

AND WHEREAS, mangrove forests of the Galathea National park are highly productive ecosystems and have many ecological functions. Fourteen species of mangroves are recorded from the area namely *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera gymnorrhiza, Sonneratia caseolaris,* Other important vegetation of the area includes climbers and lianas such as *Derris trifoliata*, *Sarcolobus globosus*, *Finlaysonia obovata,* ephytic fern and orchirds namely *Asplenium nidus*, *Dendrobium crumenatum* and *Trichoglottis cirrhifera*. A number of potential and economically important species including *Nypa fruticans* and *Vanilla anadamanica* grows wild in the protected area;

AND WHEREAS, the protected area has only one perennial river namely Galathea, which originates in Campbell Bay National Park flowing all the way towards south through Galathea National Park and its estuaries form important nesting grounds for giant leatherback sea turtle (*Dermochelys coriacea)*, olive ridley turtle(*Lepidochelys olivacea)*, green sea turtles (*Chelonia mydas)*;

AND WHEREAS, a total of 330 species of fauna are recorded from the Galathea National Park including 28 species of mammals (including three marine mammals), 97 species of birds, 23 species of reptiles, 10 species of amphibians, 52 species of butterflies, 24 species of odonates, 20 species of spiders and 76 species of aquatic Hemipterans;

AND WHEREAS, the Galathea National park is known to harbor an exceptional variety of wildlife, the major threatened and endemic fauna recorded from the national park are Nicobar Crab eating Macaque (*Macaca fascicularis umbrosa*), Nicobar Wild Pig (*Sus scrofa nicobarica*), Dugong (*Dugong dugon*), Nicobar Tree Shrew (*Tupaia nicobarica nicobarica*), Nicobar Flying Fox (*Pteropus faunulus*), Spiny Shrew (*Crocidura nicobarica*) and Nicobar Leaf nosed Bat (*Hipposideros ater nicobarulae*), Rat (*Rattus burrescens*), (*Rattus burrus*), (*Rattus pulliventer*), (*Rattus palmarum*), Nicobar Pipistrelle (*Pipistrellus camortae*), Andaman Water Monitor (*Varanus salvator andamanensis*), Tiwari's Garden Lizard (*Calotes danieli*), Estuarine Crocodile (*Crocodilus porosus*);

AND WHEREAS, the important endemic avi-faunal species present in the area are Nicobar tiger bittern (*Gorsachius melanolophus minor),* Nicobar cuckoo dove (*Macropygia rufipennis rufipennis),* Nicobar emerald dove (*Chalcophaps indica augusta),* Great Nicobar crested serpent eagle (*Spilornis klossi),* Nicobar paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise nicobarica),* Andaman three toed kingfisher *(Ceyx erithacus macrocarus),* Nicobar strokbilled kingfisher *(Pelargopsis capensis),* Nicobar white-collared kingfisher (*Halcyon chloris occipitalis),* Andaman koel *(Eudynamys scolopacea dolosa),* Nicobar megapode (*Megapodius nicobariensis),* Nicobar hill myna *(Gracula religiosa halibrecta),* Nicobar back-naped oriole (*Oriolus chinensis macrourus), Nicobar scops owl (Otus scops nicobaricus),* Blyth's nicobar

parakeet (*Psittacula caniceps),* Nicobar redcheeked parakeet (*Psittacula longicauda nicobarica),* Nicobar pigeon *(Caloenas nicobarica nicobarica),* Nicobar green imperial pigeon (*Ducula aenea nicobarica),* katchal shikra *(Accipiter badius obsoletus),* Nicobar white eye *(Zosterops palpebros anicobarica),* Andaman Glossy Stare *(Aplonis panayensis tytleri),* Nicobar Olive backed sunbird *(Necarinia jugularis klossi),* Nicobar yellow backed sunbird *(Aethopyga siparaja nicobarica),* Andaman grey rumped swiftlet *(Collocalia fuciphaga inexpectata),* white bellied swiftlet *(Collocalia esculenta affinis),* Nicobar ground thrush *(Zoothera citrine albogularis);*

AND WHEREAS, the forests of Galathea National Park are abode to one of the Particularly Vulnerable Tribal Groups, the Shompens, which is still in the hunting and gathering stage and is solely dependent on the forest resources as the Galathea National Park including the Eco-sensitive Zone has been notified as Tribal Reserve under section 3 of the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956, wherein, they enjoy unfettered rights over the forest resources under the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 and section 65 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the allotment of land for agricultural purposes and acquisition of any interest in any land within the reserved area or any produce of or crops raised on such land are regulated under section 4 and section 6 of the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956;

AND WHEREAS, entry of any person other than aboriginal tribe or any class of persons other than members of an aboriginal tribe into the reserve area is regulated under section 7 of Regulation aforesaid. Further, transfer of reserved land by way of sale, exchange, mortgage, lease or otherwise to any person other than the member of aboriginal tribe shall be regulated under section 5 the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 and insurance of social, cultural and economic integrity, community, facilitation of community wellbeing as also the protection of natural habitat is guided by the Policy on Shompen Tribe of Great Nicobar Island – 2015;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Galathea National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act)read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero to one kilometer around the boundary of the Galathea National Park in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(1) **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero to one kilometre around the boundary of Galathea National Park and the area of the Eco-sensitive Zone shall be **14.93 square kilometres.** *The minimum extent is 'zero' as the major geographical area of the Great Nicobar Island where the Park is located, is covered under Protected Areas Network and Tribal Reserves; therefore, there is hardly any area left for holistic development. Further, to protect the development and inhabitants from unforeseen natural disaster like Tsunami, rising water level, a 750 meters buffer is proposed with guidelines all along the coastline for development. This requires the developable area to be located away from the coast and near the National Park boundary. The Island has tremendous strategic significance for the country and the Government of India is in the process of development of strategic projects on this side; therefore, there is no scope for Eco-sensitive Zone left.*

(2) The extent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure–I.**

(3) Map of Eco-sensitive Zone of Galathea National Park along with geo-coordinates, satellite image and location maps are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Galathea National Park and Eco-sensitive Zone is appended as Table A and B of **Annexure-III.**

(5) No revenue villages are located within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. - (1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of Union territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Animal Husbandry;

(v) Andaman Public Works Department;

(vi) Revenue;

(vii) Fisheries; and

(viii) Andaman and Lakshadweep Harbour Works (ALHW) and other research organisations.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall be prepared taking into consideration the Policy on Shompen Tribe of Great Nicobar Island-2015 and the provisions made in the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4, keeping the safety, security and wellbeing of Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) to the fore as enshrined in Policy on Shompen Tribe of Great Nicobar Island-2015 and the provisions made in the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(10) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(11) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union territory Government. -The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or Union territory Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the land use shall be regulated as per the provisions made at section 4, 5 and 6 of the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956:

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forest.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco- education and eco development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The E-waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.–The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Prohibited.
11.	Construction activities.	Prohibited.
12.	Small scale no-polluting industries.	Prohibited.
13.	Felling of trees.	Prohibited.
14.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
15.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.
16.	Practice river aquaculture and fishing by the help of mechanized boats in large scale commercial manner.	Prohibited.
	B. **Regulated Activities**	
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

IndiaCode

22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Traditional fishing practices.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Permitted for meeting the bonafide requirement of the Particularly Vulnerable Tribal Group (Shompen) and Nicobarese as provided in the Andaman and Nicobar (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956.
31.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Should be encouraged to the extent possible without affecting the livelihood of Particularly Vulnerable Tribal Group (Shompens).
32.	Agriculture and Horticulture practices by PVTG and Nicobarese.	Promoted for meeting their subsistence requirement.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

42.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, Nicobar District	Chairman;
2.	Member, Zilla Parishad, Campbell Bay	Member;
3.	Executive Engineer, Andaman Public Works Department, Campbell Bay	Member;
4.	Director, Department of Agriculture or representative	Member;
5.	Director, Fisheries or representative	Member;
6.	Senior Veterinary Officer, Campbell Bay	Member;
7.	One representative of Non-governmental Organization working in the field of Environment (including heritage conservation) to be nominated by the Union territory Government	Member;
8.	One expert in environment or ecology or wildlife from a reputed Institution to be nominated by Union territory Government	Member;
9.	Representative of Andaman and Nicobar Islands Biodiversity Council	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Nicobar Division	Member – Secretary

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/16/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

BOUNDARY DESCRIPTION OF GALATHEA NATIONAL PARK AND ECO-SENSITIVE ZONE

EAST- The Eco Sensitive Zone boundary of Galathea National Park starts from a **point 1** (6°59'33.429" N and 93°52'8.570" E) moves towards East direction upto the **point A2** (6°59'40.690" N and 93° 52'23.157" E) near Magar nallah 0.5 km away from the boundary of the National Park. Then proceeds towards south direction upto **point A5** (6°55'53.257" N and 93°52'13.565" E) near Dhillonnallah through the **point A3** (6°58'52.401" N and 93°52'36.066" E) and **A4** (6°57'24.953" N and 93°51'43.686" E) maintaining a distance of 0.5 kilometre from the Eastern boundary of the National Park. Then the boundary moves towards South-West direction and meets the boundary of Galathea National Park at **point 3** (6°55' 36.340" N and 93°52'4.623" E) and follows the boundary of Galathea National Park upto **point 5** (6°50'16.834" N and 93°52'22.608" E).

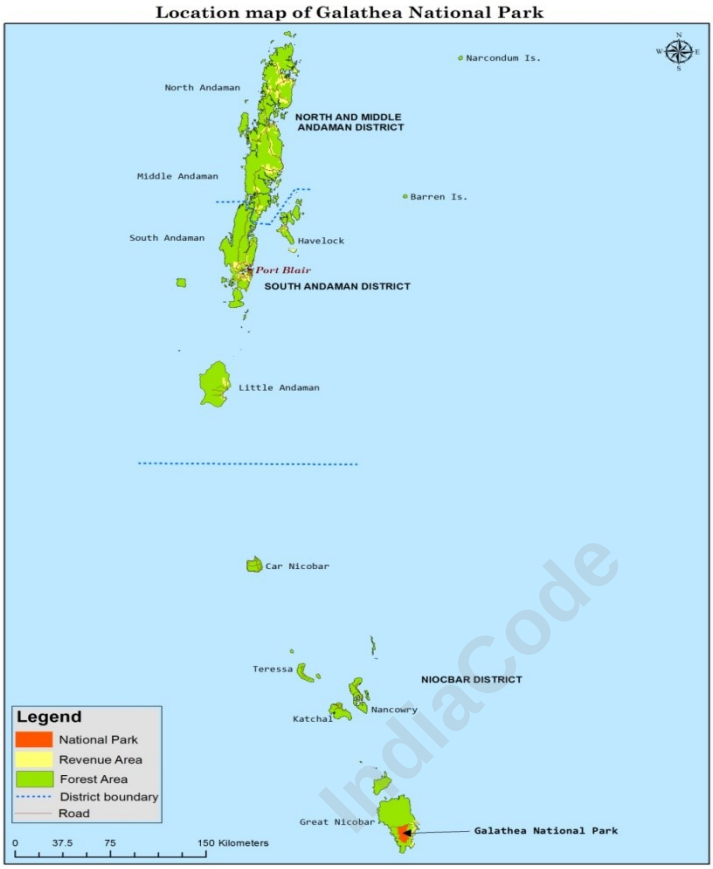
SOUTH- From **point 5** (6°50'16.834" N and 93°52'22.608" E), the boundary moves towards South-West direction upto a **point 6** (6°50'52.594" N and 93° 49'18.952" E) following the boundary of Galathea National Park.

WEST: -From the **point 6** (6°50'52.594" N and 93°49'18.952" E)), the boundary moves towards North direction upto the **point 11** (6°58'15.837" N and 93°47' 30.378" E) through the **point 7** (6°53'42.182" N and 93°48'37.418" E), **point 8** (6° 54'4.291" N and 93°49'11.580" E), **point 9** (6°55'2.576" N and 93°48'14.121" E) and point **10** (6°56'45.865" N and 93°47'52.416" E) following the boundary of Galathea National Park.

NORTH: From the **point 11** (6°58'15.837" N and 93°47'30.378" E) the boundary then moves towards North-West direction upto the **point A6** (6°58'27.217" N and 93°46'58.873" E) at a distance of 1.00 km from the boundary of Galathea National Park then moves towards East direction upto the **point A1** (6°59'47.949" N and 93°52'37.740" E) passing through the **point A7** (6°59'2.745" N and 93°49'40.976" E) and **point A8** (7°0'19.532" N and 93°51'42.870" E) maintaining an uniform distance of one kilometre from the boundary of the National Park. The boundary then moves towards West direction and meets at **point A2** (6°59'40.690" N and 93°52' 23.157" E).

ANNEXURE II A

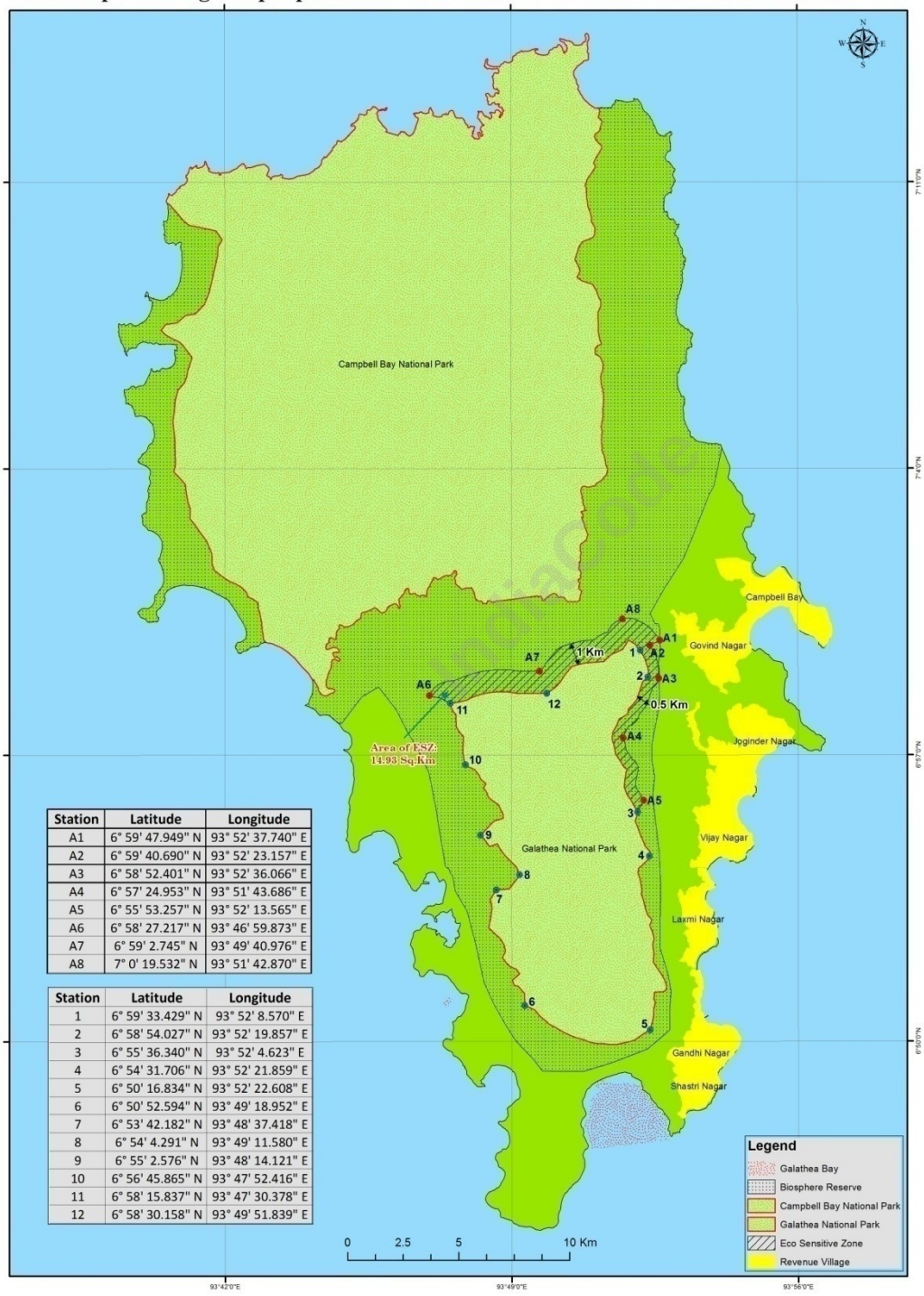
LOCATION MAP OF GALAETHEA NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE



ANNEXURE II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GALAETHEA NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map showing the proposed Eco-Sensitive Zone of Galathea National Park



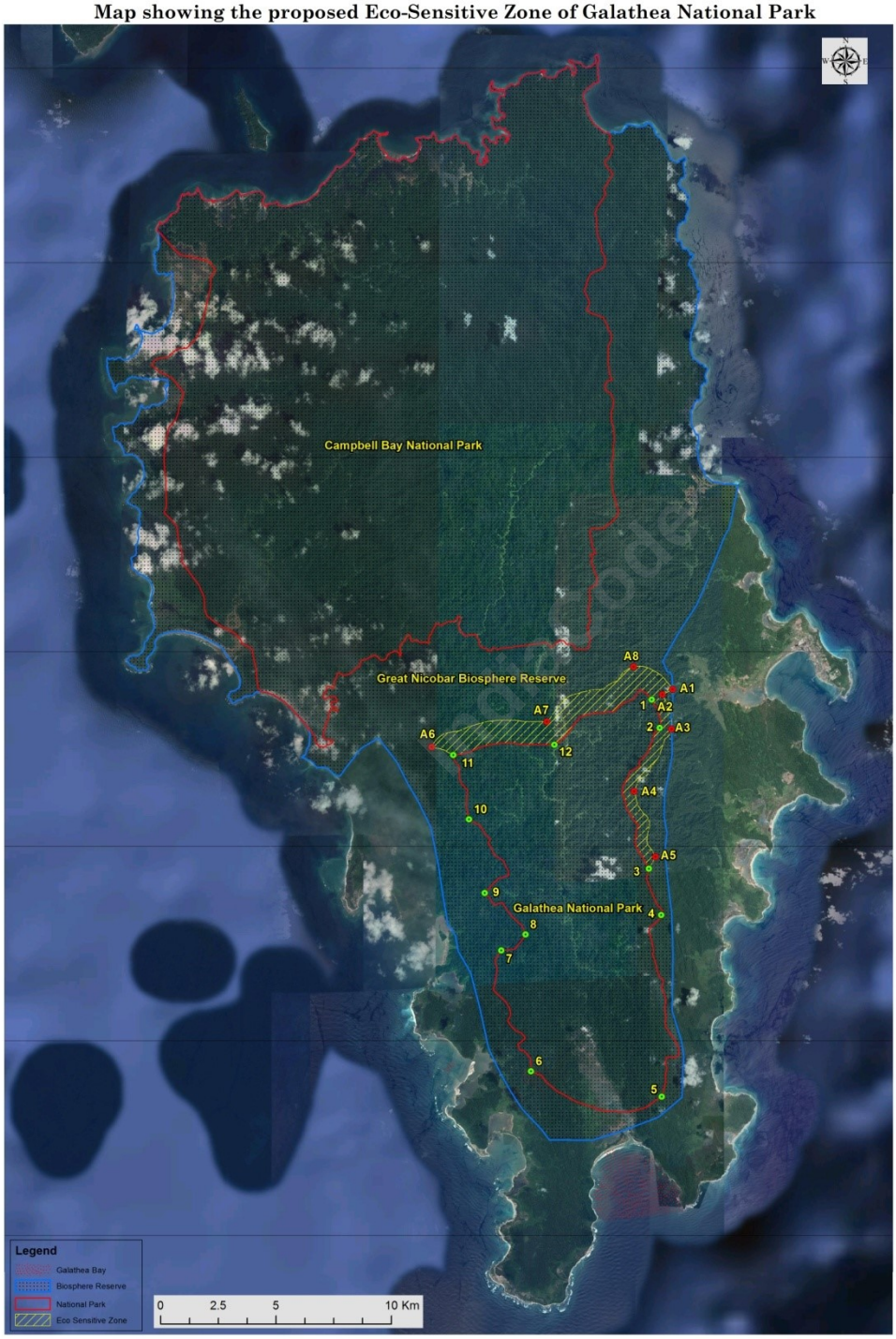
Station	Latitude	Longitude
A1	6° 59' 47.949" N	93° 52' 37.740" E
A2	6° 59' 40.690" N	93° 52' 23.157" E
A3	6° 58' 52.401" N	93° 52' 36.066" E
A4	6° 57' 24.953" N	93° 51' 43.686" E
A5	6° 55' 53.257" N	93° 52' 13.565" E
A6	6° 58' 27.217" N	93° 46' 59.873" E
A7	6° 59' 2.745" N	93° 49' 40.976" E
A8	7° 0' 19.532" N	93° 51' 42.870" E

Station	Latitude	Longitude
1	6° 59' 33.429" N	93° 52' 8.570" E
2	6° 58' 54.027" N	93° 52' 19.857" E
3	6° 55' 36.340" N	93° 52' 4.623" E
4	6° 54' 31.706" N	93° 52' 21.859" E
5	6° 50' 16.834" N	93° 52' 22.608" E
6	6° 50' 52.594" N	93° 49' 18.952" E
7	6° 53' 42.182" N	93° 48' 37.418" E
8	6° 54' 4.291" N	93° 49' 11.580" E
9	6° 55' 2.576" N	93° 48' 14.121" E
10	6° 56' 45.865" N	93° 47' 52.416" E
11	6° 58' 15.837" N	93° 47' 30.378" E
12	6° 58' 30.158" N	93° 49' 51.839" E

ANNEXURE II C

SATELLITE IMAGE OF GALAETHEA NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Map showing the proposed Eco-Sensitive Zone of Galathea National Park



ANNEXURE - III

TABLE A: Geo-coordinates of prominent locations along the boundary of Galathea National Park as shown on map

S. No.	Station	Latitude	Longitude
1.	1	6° 59' 33.429" N	93° 52' 8.570" E
2.	2	6° 58' 54.027" N	93° 52' 19.857" E
3.	3	6° 55' 36.340" N	93° 52' 4.623" E

4.	4	6° 54' 31.706" N	93° 52' 21.859" E
5.	5	6° 50' 16.834" N	93° 52' 22.608" E
6.	6	6° 50' 52.594" N	93° 49' 18.952" E
7.	7	6° 53' 42.182" N	93° 48' 37.418" E
8.	8	6° 54' 4.291" N	93° 49' 11.580" E
9.	9	6° 55' 2.576" N	93° 48' 14.121" E
10.	10	6° 56' 45.865" N	93° 47' 52.416" E
11.	11	6° 58' 15.837" N	93° 47' 30.378" E
12.	12	6° 58' 30.158" N	93° 49' 51.839" E

Table B: Geo-coordinates of prominent locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Galathea National Park as shown on map

S.No.	Station	Latitude	Longitude
1.	A1	6° 59' 47.949" N	93° 52' 37.740" E
2.	A2	6° 59' 40.690" N	93° 52' 23.157" E
3.	A3	6° 58' 52.401" N	93° 52' 36.066" E
4.	A4	6° 57' 24.953" N	93° 51' 43.686" E
5.	A5	6° 55' 53.257" N	93° 52' 13.565" E
6.	A6	6° 58' 27.217" N	93° 46' 59.873" E
7.	A7	6° 59' 2.745" N	93° 49' 40.976" E
8.	A8	7° 0' 19.532" N	93° 51' 42.870" E

IndiaCode

ANNEXURE - IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.13 17:16:48 +05'30'